262

5रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित विलोपित

-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

पूरन बसोर पिता घनश्याम बसोर रेस्टोरेशन क्र.-9044-I-16 ..... आवेदक

विरूद्ध

गुलाबा बाई जोजे अनन्दी बसोर एवं अन्य

..................अनावेदकगण

श्री शिवकुमार उपाध्याय (एड) सागर द्वारा आज दि. 06/8/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरणक. नि.1110–2–16
आदेश दिनांक- 25/07/16

प्रस्तुत दिनांक – 06-8.16

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म. प्र. भू. राजस्व संहिता

आवेदक की ओर से विनम्र प्रार्थना हैं :–

1– यह कि उपरोक्त प्रकरण दिनांक 25–7–2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष नियत था ।

2– यह कि आवेदक अधिवक्ता उस दिन न्यायालय में उपस्थित थे एवं माननीय न्यायालय के समक्ष अन्य प्रकरणों में पैरवी की, इस प्रकरण के संबंध में उपस्थित रीडर महोदय से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने अवगत कराया कि आज फायल नहीं आई है इस कारण आवेदक अधिवक्ता न्यायालय से वापिस आ गये ।

3– यह कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा नेट पर राजस्व मंडल की साइट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्रकरण दिनांक 25–7–2016 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया ।

4– यह कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा जान बूझकर अनुपस्थिति नहीं की गई बल्कि रीडर महोदय द्वारा दी गई जानकारी पर सदभावना पूर्वक विश्वास करके प्रकरण में अनुपस्थिति हो गई है ।

Skupdhr
शिवकुमार उपाध्याय
एड.
सागर

।।प्रार्थना ।।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रकरण पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सागर

दिनांक 6/8/2016

Skupdhr
तरफ से आवेदक
शिवकुमार उपाध्याय एड

P
2/8

-2- रेस्टोर 9044 ई/16 (इलाहा)

24-10-16	निवेदक अधि. श्री विवेक कुमार उपाध्याय द्वारा [illegible] कार्यालय सहायक [illegible] एवं विकास समिति [illegible] मण्डल की रसीद नं 148 दिनांक 24-10-16 द्वारा रु 500/- आवेदन की रसीद प्रस्तुत की गई। प्रकरण रेकार्ड [illegible] दाखिल किया जाये।	[illegible] 24-10-16

गाझेमुद्रणा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र